



हमारा प्रयास
सबको आवास



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास” (चतुर्थ चरण) गोण्डा एवं बहराइच में भवनों (जी+3) को

ऑफलाइन पंजीकरण द्वारा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

विशेष पंजीकरण 2021 | अवधि 01.12.2021 से 31.12.2021 तक

पंजीकरण पुस्तिका ₹ 100/- भुगतान कर **एच.डी.एफ.सी. बैंक**, हाउस नं. 144, मोहन टावर, स्टेशन रोड, गोण्डा से प्राप्त/जमा करें।

फ्लैट्स का विवरण		रेरा पंजीकरण सं.: UPRERAPRJ814610, वेबसाइट : www.up-rera.in							
क्र. सं.	योजना/शहर का नाम	फ्लैटों/ भवनों की संख्या (जी+3)	सुपर एरिया (वर्ग मीटर)	कार्पेट एरिया (वर्ग मीटर)	प्रति फ्लैट/ भवन की कुल लागत (रु. लाख में)	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. में)	शेष धनराशि (रु. में)	फ्लैट/भवन में मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि
									संख्या धनराशि (रु. में)
1.	गोण्डा (सिविल लाइन्स)	156 नग	34.07 वर्ग मीटर	22.77 वर्ग मीटर	6.00	2.50	5,000/-	345000	60 5917.00

पंजीकरण पुस्तिका ₹ 100/- भुगतान कर **एच.डी.एफ.सी. बैंक**, 1180, डिगीहा, गोण्डा रोड, बहराइच से प्राप्त/जमा करें।

फ्लैट्स का विवरण		रेरा पंजीकरण सं.: UPRERAPRJ772651, वेबसाइट : www.up-rera.in							
क्र. सं.	योजना/शहर का नाम	फ्लैटों/ भवनों की संख्या (जी+3)	सुपर एरिया (वर्ग मीटर)	कार्पेट एरिया (वर्ग मीटर)	प्रति फ्लैट/ भवन की कुल लागत (रु. लाख में)	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. में)	शेष धनराशि (रु. में)	फ्लैट/भवन में मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि
									संख्या धनराशि (रु. में)
1.	बहराइच (मिन्ना मार्ग योजना)	96 नग	34.07 वर्ग मीटर	22.77 वर्ग मीटर	6.00	2.50	5,000/-	345000	60 5917.00

नियम व शर्तें :- • आवेदक की वार्षिक आय रु. 3 लाख तक होनी चाहिए। • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। • रु. 5,000/- पंजीकरण धनराशि के उपरान्त शेष धनराशि सब्याज 05 वर्षों में अर्थात् 60 मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा। • सम्पत्ति आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र/मॉग पत्र निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष की 60 मासिक किश्तों में दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%) + 1% = 8.95% say 9.00% की दर के अनुसार देय होगी। • आवेदन हेतु पात्रता एवं शर्तों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु परिषद द्वारा जारी पंजीकरण पुस्तिका देखें। अधिक जानकारी परिषद की वेबसाइट **www.upavp.in** पर उपलब्ध है—पंजीकरण पुस्तिका में देखें। • किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

ऑफलाइन सुविधा प्रदाता बैंक एवं अधिकारी का नाम:-

एचडीएफसी बैंक, गोण्डा
श्री संतोष कुमार शुक्ला
मो.नं.: 9838666685

एचडीएफसी बैंक, बहराइच
श्री शफीक
मो.नं.: 7007910400

सम्पर्क सूत्र

इं० रूप चन्द्र
अधीक्षण अभियन्ता
मो.नं.: 8795810034

इं० अजीत कुमार चौधरी
अधीशासी अभियन्ता
मो.नं.: 8795811695

श्री मुकेश पाल
(सम्पत्ति प्रबन्धक बहराइच)
मो.नं.: 8795810970

IS 15700:2005



सेवेत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website: www.upavp.in, E-mail: info@upavp.com



टोल फ्री

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -

1800-180-5333 दूरभाष 0522-2236803
या परिषद की वेबसाइट पर लॉग इन करें।